

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4754
उत्तर देने की तारीख : 23.03.2020

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं / विश्वविद्यालय में आत्महत्या के मामले

†4754. श्री बैन्नी बेहनन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आई०आई०टी० और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के बढ़ते मामलों पर ध्यान दिया है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और
- (ग) सरकार ने विद्यार्थियों के बीच ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

- (क) : उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या दर बढ़ नहीं रही है।
- (ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआईटी एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | संस्थान | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| I. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) | 7 | 8 | 6 |
| II. | केन्द्रीय विश्वविद्यालय | 8 | 7 | 2 |

(ग) : सभी संस्थान छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय कल्याणकारी कदम उठाते हैं और समय-समय पर जरूरतमंद छात्रों की काउंसलिंग के लिए डॉक्टर्स/ काउंसलर/ मनोवैज्ञानिकों को लगाते हैं। इसके अलावा, संस्थान के स्वयं के संकाय/ वार्डन/ मेंटर भी विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक चिंताओं से निपटने के लिए छात्रों की मदद करने के लिए सक्रिय रहते हैं। ये संस्थान छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम के माध्यम से नियमित परामर्श सत्र आयोजित करते हैं और शिकायतों/ सुझावों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान रखते हैं। इसके अलावा, छात्रों के बीच स्वस्थ वातावरण को विकसित करने के लिए समय-समय पर प्रेरक व्याख्यान/ वार्ता, ध्यान और योग सत्र, खेल बैठक, सांस्कृतिक बैठक आदि आयोजित की जाती हैं।

यूजीसी ने अपने पत्रों के द्वारा समय-समय पर जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए सभी विश्वविद्यालयों/ सम विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, यूजीसी ने अपने दिनांक 26.06.2019 के पत्र द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के छात्रों/ शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए कहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए तीन सप्ताह का छात्र प्रेरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसमें शारीरिक गतिविधियां, अधिगम, कला, साहित्य, सिनेमा, सामाजिक जागरूकता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्य शामिल हैं।
